“Health Begins with Safety - and Safety Begins with Medicine”

COMPREHENSIVE REPORT ON THE EXCLUSIVE CAMPAIGN SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन) CONDUCTED DURING MARCH, 2025

Article 21 of the Constitution of India, guarantees the fundamental right to life and personal liberty. Over the years the Hon'ble Supreme Court has interpreted this Article to encompass the *right to health,* making it an essential part of a dignified life. Through various landmark judgments the Hon'ble Apex Court has expanded the scope of Articled 21 to include access to timely and affordable healthcare, essential medicines, and a clean and safe environment.

- **Parmanand Katara v. Union of India** (1989) The Supreme Court held that the right to emergency medical aid is a fundamental right under Article 21.
- **State of Punjab v. Mohinder Singh Chawla** (1997) It was held that the right to health is a fundamental right and the government must provide necessary health services.
- **K.S. Puttaswamy v. Union of India** (2017) Right to privacy was recognized as a fundamental right, further strengthening the rights of individuals in medical treatment and healthcare.

Access to safe, effective and quality-assured medicines is not merely a component of sound healthcare policy—it is a constitutional imperative under Article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to life and personal liberty. The Hon'ble Supreme Court has repeatedly affirmed that the right to health is intrinsic to a life of dignity and any compromise on the safety of medicines constitutes a direct violation of this fundamental right. The following judgments passed by the Hon'ble Supreme Court of India underscore that **the availability of quality medicines is not optional but a constitutional obligation**.

The proliferation of counterfeit and substandard medicines in the pharmaceutical market poses a grave threat to public health and constitutes a direct infringement of the *fundamental right to health* under Article 21 of the Constitution. Frequent media reports and independent investigations underscore the systemic lapses in drug regulation and the urgent necessity for robust enforcement of drug quality and safety

norms. To safeguard public health, it is imperative to ensure the availability of safe, efficacious, and quality-assured medicines through a multi-pronged approach. This includes intensified public awareness campaigns and legal literacy initiatives focused on drug safety, anchored in the provisions of the *Consumer Protection Act, 2019*, the *Drugs and Cosmetics Act, 1940*, and other allied legislations. Effective redressal mechanisms, combined with proactive surveillance, are essential. Meaningful collaboration among healthcare institutions, pharmaceutical manufacturers, regulatory authorities, and legal services institutions is crucial to disrupt the supply chain of substandard drugs. Organizing interdisciplinary workshops, legal aid clinics, and health awareness camps—especially in underserved regions—can empower citizens with knowledge of their rights and promote accountability across the pharmaceutical and healthcare sector.

Yet, the alarming presence of counterfeit and substandard medicines in the Indian pharmaceutical market poses a grave threat to public health and systemic integrity. Numerous reports across media platforms reveal that such drugs have not only undermined treatment outcomes but have also resulted in serious morbidity and mortality. These issues highlight the urgent need for vigilant enforcement of drug regulations, proactive public awareness, and coordinated institutional action.

In light of these challenges and as per the directions of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, Nainital the legal services institutions—particularly the *District Legal Services Authorities (DLSAs)*—have emerged a dedicated campaign titled **SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)** to confront this multifaceted crisis and to bridge the gap between legal entitlements and public health rights. Also to systematically address the growing concern over counterfeit and substandard medicines. This initiative envisions the constitution of dedicated task forces comprising legal experts, healthcare professionals, and representatives from enforcement agencies to ensure coordinated and timely interventions. Help desks are proposed to be established in government hospitals and Primary Health Centres (PHCs) to educate citizens about their rights under Article 21 of the Constitution, with a particular emphasis on the right to safe and quality healthcare. Legal awareness camps and capacity-building workshops—targeted at both rural and urban

populations—form an essential part of this outreach strategy. Meaningful engagement with pharmaceutical companies, regulatory authorities, and civil society organizations is also being pursued to promote greater transparency, affordability, and access to safe medicines. To strengthen accountability, a dedicated grievance redressal mechanism will be put in place, enabling individuals to report instances of counterfeit drugs and triggering prompt legal action against offenders under relevant penal and consumer protection laws.

CONSOLIDATED REPORT ON THE EXCLUSIVE CAMPAIGN SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन) CARRIED OUT DURING MARCH, 2025

S.N.	PARTICULARS	REPORT
1	Total No. of awareness programmes, camps, workshops etc. organized in the District	501
2	Total No. of persons attended these progammes camps	17370
3	Total No. of Joint Visit of factories/medical stores in coordination with the stakeholders	118
4	No. of Banners prepared	71
5	No. of Pamphlets/Brochures distributed	18400
6	Any other relevant point	• **04 Rallies on SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)** were organized as an awareness initiative to educate the public about the responsible use of medicines and the dangers of self-medication and counterfeit drugs. Participants carry banners and raise slogans such as *"Right Medicine, Right Dose – A Step to Safe Life"* and *"Medicine is Cure, Not a Risk – Use it Wisely"*, emphasizing the importance of using only doctor-

		prescribed medicines and purchasing from authorized sources. By spreading this crucial message, the rally aims to build a healthier, more informed society where safe medicine practices lead to a safe and quality life.
		• **Stalls** were established by PLVs under **SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)** & people were sensitized about their rights relating to health services and medicine, precautions to be taken while buying medicine, side effects of expired medicine.
		• **Radio Show** organized by Jail PLVs to sensitized inmates about **SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)** campaign.
		• **Educational Videos** were prepared under **"SAFE DRUGS; SAFE LIFE"** by jail PLVs to sensitize mass about safe drug-safe life.
		• **09 Meetings** were convened with Drug Inspector and Food Safety Officer & other stakeholders for wide publicity of the campaign.
		• **Roaster** prepared for upcoming month for PLVs to implement the campaign.
		• **02 Nukkad Nataks** were played **on "SAFE DRUGS; SAFE LIFE"** and common mass who frequently takes medicines without consulting a doctor and falls ill after consuming a counterfeit remedy suggested by a fake healer. Through interactions with a concerned chemist and a qualified doctor, attendees learn the dangers of self-medication, incomplete dosages, and unverified treatments. The play highlights key messages such as the importance of using medicines only under medical supervision,

		purchasing from licensed pharmacies, and avoiding traditional or fake cures. It ends with pledging to use medicine responsibly, as all characters join in a chorus proclaiming, *"Safe Medicine, Safe Life – **Dawa Soch Samajh Kar Lo, Zindagi Bachao!"***
		• During the **"SAFE DRUGS; SAFE LIFE"** campaign, seminars were organized with medical stores operators to sensitize them about the legal and ethical responsibilities involved in the sale of medicines, emphasizing the importance of dispensing drugs only on valid prescriptions, preventing misuse, and ensuring the quality and authenticity of medicines. TLSCs along with PLVs also held similar awareness programs in their respective areas, ensuring grassroots outreach and promoting public awareness on the safe and responsible use of medicines for a healthier and legally informed society.

During the campaign **SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)** a total number of **501** awareness programmes, camps, workshops were organized and these programmes were attended by **17370** people, health department officials, medical practitioners, pharmacists, and representatives from the Food and Drug Administration, local community members, Accredited Social Health Activists shopkeeper, school children etc. Further, **118** Joint Visit of factories/medical stores have also been conducted in coordination with the stakeholders. Total **71** Banners/Posters have also been prepared for the said campaign. In order to implement and to make more successful the said campaign total **18400** pamphlets and brochures were also distributed amongst the common mass and participants.

This initiative includes:

- **Legal Awareness and Outreach:** Help desks at government hospitals and Primary Health Centres (PHCs) inform patients of their rights under Article 21, relevant drug laws and available legal remedies in cases of counterfeit or substandard drugs.
- **Community Engagement:** Legal awareness camps, street plays, school-based education programs has been conducted in rural and urban areas to sensitize the public on safe drug usage, identifying fake medicines, and reporting mechanisms.
- **Grievance Redressal Mechanism:** Citizens have been encouraged to report fake or suspicious medicines through accessible complaint platforms managed by DLSAs, with provisions for immediate legal assistance and follow-up action under criminal and consumer laws.
- **Monitoring and Surveillance Drives:**

  -Surprise inspections at pharmacies and distribution networks.

  -Testing of suspicious drug samples and initiating penal action against violators.

- **Use of Digital Platforms**

  -Mobile apps or online portals for complaint registration and information dissemination.

  -Social media campaigns to spread awareness widely and quickly.

- **Special Focus on Vulnerable Groups**

  -Targeted outreach in rural areas, slums, old age homes, and among economically weaker sections.

  -Ensuring equitable access to safe medication and legal support.

The fight against unsafe medicines cannot be won by regulatory enforcement alone. It requires a whole-of-society approach—where legal empowerment, public health education, and institutional accountability converge. The campaign **"SAFE DRUGS; SAFE LIFE (सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन)"** seeks not only to protect lives but to promote a culture of informed healthcare, legal literacy and civic responsibility.

* * * * * *

ACTIVITY PHOTOGRAPHS

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

NAINITAL

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDHAM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

MEDIA CORNER

मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण, एक्सपायरी दवाओं और बिलिंग की जांच

चम्पावत। चंपावत में सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते के नेतृत्व में चलाये गए अभियान चलाया में ड्रग इंस्पेक्टर नीरज, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ इंद्रजीत पांडे, मुख्य फार्मेसिस्ट विष्णु गिरि और चम्पावत थाने की पुलिस अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी दवाओं और उनकी बिक्री की जांच की गई, साथ ही इनके निस्तारण की भी समीक्षा की गई। मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के पक्के बिलों की अनिवार्यता और फार्मेसिस्ट के लाइसेंस की भी जांच की गई। निरीक्षण में पाई गई कमियों को लेकर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए। मौके पर मौजूद मरीजों को एक्सपायरी दवाइयों से बचने और दवाइयों की खरीद पर पक्का बिल लेने के लिए जागरूक किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते ने बताया कि यह अभियान पूरे चम्पावत जिले में आगे भी जारी रहेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण दवाइयां मिल सकें।

सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान चलाया

बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) ने सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान चलाया। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने नगर की दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। विक्रेताओं को कालातीत (एक्सपायरी) दवा नहीं बेचने की हिदायत दी।

मंगलवार को टीम ने नगर के सभी मेडिकल स्टोरों पर जाकर दवाइयां की स्थिति और बिल बुक की जांच की। डालसा के सचिव ने दवा विक्रेताओं से चिकित्सक की सलाह के बिना लोगों को दवा नहीं देने का कहा। उन्हें सभी ग्राहकों को पक्का बिल देने के सख्त निर्देश दिए। सचिव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में अच्छी व्यवस्था मिली, कई दुकानों में खामियां भी पाई गई। कमी वाले व्यापारियों को सुधार करने के निर्देश दिए गए है। प्राधिकरण हर महीने इस अभियान को चलाएगा। वहां पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट भी मौजूद रही। संवाद

बागेश्वर में मेडिकल स्टोर की जांच करती संयुक्त टीम।

8:48 .ıl 100

...स मजदूरी को समायोजित करने का भी फैसला हुआ।

मेडिकल स्टोरों में मिली खामियां, कार्रवाई की

देहरादून। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दून में सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई खामियां मिलीं।

बुधवार को अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर सचिव सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में टीम में ड्रग इंस्पेक्टर मानेंद्र सिंह राणा, योगेंद्र सिंह, संजय सिंह शामिल थे। रेसकोर्स में रिंकू मेडिकोज और शिवम डिस्ट्रीब्यूटर में स्थित फ्रिज में भी तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया। जौलीग्रांट, देहरादून में स्थित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, हॉनेस्टी ड्रग स्टोर में अत्यधिक गंदगी पाई गई। जिस पर कार्रवाई की गई।

सर्वे ऑडिटोरियम में 29 को मसूरी विधानसभा क्षेत्र का शिविर लगेगा

देहरादून। मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को दून विहार के राधा कृष्ण मंदिर तथा जाखन वार्ड में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के संग 29 मार्च को होने वाले बहुद्देशीय शिविर और रैली को लेकर तैयारी की समीक्षा की।

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 29 मार्च को सर्वे स्टेडियम...

नवोदय टाइम्स Thu 27 March 2025 Edition: dehradun times, Page no. 4

NAVODAYA TIMES

IV नवोदय टाइम्स — देहरादून

मेडिकल स्टोरों में मिली अनियमितताएं, कई फार्मासिस्ट का नाम लाइसेंस में नहीं

- सेफ ड्रग सेफ लाइफ कैंपेनिंग के तहत टीम ने किया निरीक्षण
- दवाइयों के बारे में सही उत्तर नहीं दे पाया फार्मासिस्ट

देहरादून, 26 मार्च (नवोदय टाइम्स): जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी ने सेफ ड्रग सेफ लाइफ कैंपेनिंग के तहत अलग अलग स्थानों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाई गई तो कहीं फार्मासिस्ट का नाम लाइसेंस में नहीं मिला। फार्मासिस्ट से दवाइयों, तापमान, साल्ट नेम की पूछताछ की गई, तो वह एक भी सही उत्तर दे पाया। सुधार न होने तक दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई।

निरीक्षण में निम्नलिखित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, फार्मासिस्ट के रिकॉर्ड, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, डीप फ्रीजर में रखी दवाइयों के तापमान का जायजा, एक्सपायर दवाइयां, एक्सपायर दवाइयों के निस्तारण, नारकोटिक्स ड्रग के डाटा की जांच व उसकी जानकारी के बारे में पूछताछ की गई। केंद्रीय औषधि भंडार, चंदनगर का निरीक्षण किया गया। एक्सपायर हुई दवाइयों की रजिस्टर को टीम द्वारा देखा गया। सीलन व पुताई की कमी पाई गई, जिस पर उन्हें शीघ्र उक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद रेसकोर्स में स्थित रिंकू मेडिकोज का निरीक्षण किया गया।

संस्था में 5 फार्मासिस्ट, 12 सीसीटीवी कैमरे, 9 कंप्यूटर व स्टाफ पाए गए। मेडिकल स्टोर में स्थित फ्रिज में तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया। रेस कोर्स में स्थित शिवम डिस्ट्रीब्यूटर में स्थित फ्रिज में भी तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया।

केयर फार्मेसी रेस कोर्स का निरीक्षण किया गया। कंप्यूटर में नारकोटिक्स ड्रग के निरीक्षण में पाया गया कि स्टोर द्वारा दवाइयों पर दी जाने वाली छूट को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिस पर उन्हें ऐसा न करने को दिशा-निर्देश व गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के समय, मालिक अनुपस्थित पाए गए। वहां स्थित फ्रिज में भी तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया।

जौलीग्रांट में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। जिसमें सबसे पहले हॉनेस्टी ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया गया। मेडिकल स्टोर में अत्यधिक गंदगी पाई गई। वहां स्थित फ्रिज में भी तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया और फ्रिज की लाइट भी खराब मिली। मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के समय, मालिक अनुपस्थित पाए गए। वहां दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई।

नीरज मेडिकोज जौलीग्रांट के निरीक्षण में स्टोर के मालिक उपस्थित मिले। नारकोटिक्स ड्रग का विवरण रजिस्टर और कंप्यूटर दोनों में पाया गया। वहां स्थित फ्रिज में भी तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया जिसे शीघ्र लगाने के निर्देश दिए गए। आनंदी मेडिकोज जौलीग्रांट के निरीक्षण में काफी अनियमितताएं पाई गईं। इस मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के समय, मालिक अनुपस्थित पाए गए। गंदगी पाई गई और फ्रिज में तापमान डिस्प्ले भी नहीं पाया। फार्मासिस्ट का नाम लाइसेंस में नहीं पाया गया व फार्मासिस्ट से दवाइयों, तापमान, साल्ट नेम की पूछताछ पर एक भी सही उत्तर नहीं मिला। आनंदी मेडिकोज पर दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई।

टीम में मनेंद्र सिंह राणा औषधि निरीक्षक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, योगेंद्र सिंह असिस्टेंट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और संजय सिंह असिस्टेंट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शामिल रहे।

जागरूकता शिविर में दी नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुँगराकोटी द्वारा श्री श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में, जेंडर जस्टिस, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और साइबर अपराध के बारे में विशेष जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी। इसके साथ साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सचिव द्वारा हरी झंडी दिखाकर श्री श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम के बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली आश्रम से बिंदाल पुल चकराता रोड तक निकाली गई। बच्चों द्वारा नारे लगाकर जनमानस को जागरूक किया गया। उक्त जागरूकता रैली में पराविधिक कार्यकर्ता सीमा कटारिया उपस्थित रही।

जागरण सिटी अंचल

नशे पर लगाम को राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में उत्तराखंड भी पूरी तरह सहभागिता निभा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और इसकी खेती को नष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इस ढांचे में अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर चालक स्तर तक के 37 पद रखे गए हैं। जल्द ही यह ढांचा कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को नशामुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए सभी राज्यों से राज्य स्तर पर नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने को कहा गया है। अभी प्रदेश में जिला व राज्य स्तर पर फोर्स गठित तो है, लेकिन राज्य स्तर पर इसका कोई ढांचा तय नहीं है। यानी अभी विभिन्न संवर्गों से कर्मचारियों को इस टास्क फोर्स में रखा गया है। इनका अलग संवर्ग बनाने के उद्देश्य से अब एंटी टास्क फोर्स का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

उत्तराखंड में वर्तमान में नशीले पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। चरस व गांजा उत्तराखंड में नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु से आ रहा है। स्मैक व हेरोइन दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बरेली व सहारनपुर से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहुंच रही है। वहीं ड्रग्स व गोलियां गोवा व उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से होती हुए प्रदेश में पहुंच रही है। इन सभी तस्करों के निशाने पर प्रदेश के युवा हैं, विशेषकर यहां के विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं। ये तेजी से इस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। इस पर अंकुश के लिए लगातार कवायद चल रही है। इस कड़ी में 1020 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 1298 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया है।

तिलक रोड स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जागरूकता रैली को हरी झंडी देते हुए • सौजन्य प्राधिकरण

यह है प्रस्तावित ढांचा

इसमें अपर पुलिस अधीक्षक का एक पद, ड्रग्स इंस्पेक्टर के दो पद, इंस्पेक्टर के तीन पद, सब इंस्पेक्टर के सात पद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक पद, हेड कांस्टेबल के चार पद, कांस्टेबल के 14 पद, चालक के दो पद और दो पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रखे गए हैं।

शिविर में बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया

जागरण संवाददाता, देहरादून : तिलक रोड स्थित श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर लगाया गया। जिसमें बच्चों एवं आश्रम के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव, जेंडर जस्टिस, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन, साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में शिविर लगाया गया। इससे पहले बिंदाल पुल तक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। बच्चों को नशा के कुप्रभाव, सुरक्षा संबंधित टोल फ्री नंबर, साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर सवाल जवाब किए गए। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता सीमा कटारिया ने प्रमुखता से विचार रखे।

ड्रग एसोसिएशन नैनीताल हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नैनीताल

हमारे संवाददाता

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलयानी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी मे सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दवाइयां का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं करना चाहिए, दवाइयां खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए की दवाइयां को एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदना चाहिए, यदि कोई मेडिकल स्टोर एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां को बेचता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाती है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप, निशुल्क विधिक सहायता, स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, ,नालसा की विभिन्न योजनाएं,नलसा टोल फ्री नंबर - 15100,पोश अधिनियम , मोटर वाहन संबंधी नियम आदि विषय पर भी जानकारी दी गई ।जागरूकता शिविर में,ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट द्वारा दावा के खरीद बिक्री, एक्सपायरी डेट की दवा का स्टोरेज एवं डिस्पोजल,बिल के आवश्यक विवरण आदि बिंदुओं पर जानकारी दी। ई ओ नगर पालिका श्री मनोज काण्डपाल द्वारा शिविर में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के विषय पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी श्री कैलाश चंद्र जोशी द्वारा किया गया।

कालातीत दवा बेची तो होगी सख्त कार्रवाई

जासं • बागेश्वर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा सिविल जज जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में कैश बाक्स नहीं होने तथा सीसीटीवी कैमरे नहीं चलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी दवाइयां की भी जांच की और मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

मंगलवार को सिविल जज जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने नगर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। कहा कि एक्सपायरी डेट की दवाएं लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्होंने मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट दवा बाक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दुकानों में प्रिंटिंग मशीन रखने को भी कहा। इस अवसर पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित थे।

दैनिक गढ़वाल की पीड़ा

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ड्रग इंस्पेक्टर और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ किया मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण

ब्यूरो गढ़वाल की पीड़ा

अल्मोड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश व जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके अधिकार और कानूनी तथा विधिक जानकारी देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है साथ ही सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मेडिकल स्टोर संचालकों को भी समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं।

इसी क्रम में सुश्री शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व गठित समिति के सदस्य मीनाक्षी बिष्ट ड्रग इंस्पेक्टर एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी योगेश चंद्र पुरोहित द्वारा Safe Drugs: Safe Life (सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन) अभियान के अनुक्रम में अल्मोड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड दवाईयों की जांच की गयी एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी चेक किए गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि अधिकतर मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स बनाए गए हैं।एक्सपायर्ड डेट की दवाईयां लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मेडिकल स्टोरों में नियमानुसार एक्सपायरी बॉक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने एवं दुकानों में प्रिंटिंग मशीन रखने के भी निर्देश मेडिकल स्टोर संचालकों को दिए गये।

अल्मोड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का हुआ संयुक्त निरीक्षण

(राजीव कर्नाटक)

अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में आज गुरूवार को सुश्री शचि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा व गठित समिति के सदस्य मीनाक्षी बिष्ट ड्रग इंस्पेक्टर एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा योगेश चंद्र पुरोहित द्वारा सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान के अनुक्रम में अल्मोड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड दवाईयों की जांच की गयी एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी चेक किए गए।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बताया गया कि अधिकतर मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स बनाए गए हैं।एक्सपायर्ड डेट की दवाईयां लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मेडिकल स्टोरों में नियमानुसार एक्सपायरी बॉक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने एवं दुकानों में प्रिंटिंग मशीन रखने के भी निर्देश मेडिकल स्टोर संचालकों को दिए गये।

'मेडिकल स्टोर संचालक प्रिंटर लगाएं'

बागेश्वर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज जयेंद्र सिंह और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में कैश बॉक्स नहीं होने और सीसीटीवी कैमरे नहीं चलने पर नाराजी व्यक्ति की। साथ ही एक्सपायरी दवाइयों की भी जांच की जा रही है।

बागेश्वर में मंगलवार को मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करते सिविल जज जयेंद्र सिंह और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट। • हिन्दुस्तान

उन्होंने कहा अधिकतर मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी बॉक्स बनाए गए हैं। दवाइयों में किसी की तरह की एक्सपायरी डेट लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट बॉक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराएं। दुकानों में प्रिंटिंग मशीन रखने के भी निर्देश मेडिकल संचालकों को दिए हैं। उन्होंने कहा किसी तरह की लापरवाही सहन नहीं होगी।

एक्सपायरी दवा के अलग बॉक्स बनाने के निर्देश

सचिव मंजू ने किया मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण

झूलाघाट में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करतीं सचिव मंजू देवी। स्रोत: डीएलएसए

संवाद न्यूज एजेंसी

झूलाघाट/पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी और गठित समिति के सदस्यों ने सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान के तहत झूलाघाट के मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में सीसीटीवी कैमरे और एक्सपायरी दवाइयों की भी जांच की गई। सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे लगे मिले।

उन्होंने मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट बॉक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने के साथ ही प्रिंटिंग मशीन रखने के भी निर्देश दिए।

कहा कि सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान के तहत माह में एक बार संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान डॉ. ललित भट्ट, एएसआई कुबेर सिंह आदि मौजूद रहे।

अमर उजाला | चमोली-रुद्रप्रया[illegible]

न्यूज डायरी

मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवाएं मिलीं

गोपेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से सुरक्षित दवा व सुरक्षित जीवन अभियान के तहत सोमवार को नगर के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण कर एक्सपायरी दवाएं और व खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार के निर्देशन में गठित समिति के सदस्यों ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ मेडिकल की दुकानों में एक्सपायरी दवाएं मिलीं। प्राधिकरण के सचिव ने ड्रग इंस्पेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संवाद

गोपेश्व[illegible]

एनएचएम से [illegible]

संवाद न्यूज एजेंसी

गोपेश्वर। जिला अस्पताल [illegible] को राष्ट्रीय स्वास्थ्य [illegible] (एनएचएम) के तहत [illegible] डॉक्टर मिल गए हैं जिससे लो[illegible] राहत मिली है।

लंबे समय से अस्पताल [illegible] रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त च[illegible] था अब इस पद पर डॉक्ट[illegible] तैनाती हो गई है। इसके अ[illegible] बाल रोग, नेत्र और ईएनटी [illegible] की तैनाती भी हो गई है।

जिला अस्पताल के [illegible] चिकित्सा अधीक्षक डॉ. [illegible] धनिक ने बताया कि अस्पता[illegible]

चिकित्सक की सलाह पर दवा का सेवन करें

अल्मोड़ा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की एनएसएस इकाई की स्वयंसेवियों को शिविर के पांचवें दिन सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन विषय पर जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा ने कहा कि बिना चिकित्सक की सलाह के दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह पर निर्धारित मात्रा में ही दवा का सेवन करें। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। वहां कार्यक्रम अधिकारी आकांक्षा सहित 50 स्वयंसेवी मौजूद रही। संवाद

अल्मोड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का हुआ संयुक्त निरीक्षण

(राजीव कर्नाटक)

अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में आज गुरूवार को सुश्री शचि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा व गठित समिति के सदस्य मीनाक्षी बिष्ट ड्रग इंस्पेक्टर एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा योगेश चंद्र पुरोहित द्वारा सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन अभियान के अनुक्रम में अल्मोड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड दवाईयों की जांच की गयी एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी चेक किए गए।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बताया गया कि अधिकतर मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स बनाए गए हैं।एक्सपायर्ड डेट की दवाईयां लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मेडिकल स्टोरों में नियमानुसार एक्सपायरी बॉक्स बनाने और सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने एवं दुकानों में प्रिंटिंग मशीन रखने के भी निर्देश मेडिकल स्टोर संचालकों को दिए गये।

सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान चलाया गया अल्मोड़ा में

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा दो दिवसीय ₹ सुरक्षित दवा –सुरक्षित जीवन अभियान के अनुक्रम में जागरूकता अभियान का शुभारंभ इंस्प्रेशन पब्लिक स्कूल शैल गाँव, जिला कारागार, राजकीय किशोरी गृह बख, शिशु सदन व नारी निकेतन अल्मोड़ा में जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविरों का आरम्भ नालसा थीम गीत ₹एक मुट्ठी आसमान ₹ चलाकर किया गया।उपस्थित एन एस एस के विद्यार्थियों, बंदियों, किशोरियों व अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ्य सेवा और दवा से संबंधित उनके अधिकारों की जानकारी दी गई व एक्सपीर्ड दवाईयो व खाद्य पदार्थों दुष्प्रभाव आदि के विषय में नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 , नालसा, सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, अधिकार मित्र की भूमिका, निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया, साईबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स आदि की जानकारी दी गई।

द्वारा छात्रावास शौलजा और जियारानी में आयोजित किया जागरूकता शिविर

अल्मोड़ा संवाददाता। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधि- करण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में, शचि शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा सुरक्षित दवा –सुरक्षित जीवन अभियान के तहत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रावास शौलजा और जियारानी में आयोजित किए गए।शिविरों का प्रारंभ नालसा के थीम गीत एक मुट्ठी आसमान से किया गया। शिविरों में उपस्थित छात्राओं को स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा, एक्सपायर दवाओं और खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नालसा, सालसा और जिला ...कार मित्र की भूमिका, निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम्स और अन्य संबंधित मुद्दों पर जागरूक किया गया। पम्फलेट भी वितरित किए गए, जिससे छात्राओं को इन मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी मिली।शिविरों का समापन भी नालसा के थीम गीत 'एक मुट्ठी आसमान' से किया गया। इस दौरान छात्रावास की वार्डन और अधिकार मित्र आशा भारती एवं दीपा भण्डारी भी उपस्थित थीं, जिन्होंने शिविर के सफल संचालन में सहयोग दिया। यह आयोजन छात्राओं में सुरक्षित दवाओं के उपयोग और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया मेडिकल स्टोर का निरीक्षण

मेडिकल स्टोर में मिली अनियमितता, हुई सख्त कार्यवही

संदीप गोयल/
एस.के.एम. न्यूज सर्विस

मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करती सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी।

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा सुरक्षित दवाएँ: सुरक्षित जीवन अभियान "safe drugs, safe life" campaign के तहत जनपद देहरादून में शिमला बाईपास रोड के विभिन्न स्थानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें मनेन्द्र सिंह राणा औषधि निरीक्षक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, विनोद जगुड़ी एवं निधि रतुड़ी, आरक्षी, औषधि निरीक्षक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जनपद देहरादून शामिल रहे। निरीक्षण में अनेक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, फार्मासिस्ट के रिकॉर्ड, कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी, एक्सपायर दवाईयां तथा उनके निपटारे की प्रक्रिया, नारकोटिक्स ड्रग के विषय में जानकारी आदि आवश्यक विषयों पर पूछताछ की गयी। चौहान क्लीनिक मेहूवाला देहरादून मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में मालिक रतन सिंह एवं फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं पाये गए। एक व्यक्ति स्टोर पर पाया गया, जिसको दवाईयों की जानकारी नहीं थी। फ्रिज बंद अवस्था में पाया गया, जिसमें अनेक दवाईयां भी पायी गयी। उक्त मेडिकल स्टोर में अनेक दवाईयां एक्सपायर पायी गयी एवं गंदगी, अनहाइजीनिक अत्यधिक पाया गया। उक्त स्टोर पर कार्यवाही करते हुए एक्सपायर दवाईयों को जब्त किया गया और इनके क्रय-विक्रय पर रोक के साथ उक्त मेडिकल स्टोर के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उक्त स्टोर में अनियमितता के मद्देनजर उसी समय बंद करवाया गया। साई मेडिकल स्टोर आरकेडिया ग्रांट देहरादून मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में फार्मासिस्ट मोहसिन अहमद उपस्थित पाया गया। उक्त मेडिकल स्टोर में स्थित फ्रिज में तापमान डिसप्ले नहीं पाया गया, जिसपर उसको शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। फार्मासिस्ट से दवाईयों के स्टोरेज में इस्तेमाल तापमान के विषय में पूछताछ करने पर यह प्रतीत हुआ कि उसे अपने विषय की जानकारी नहीं है, जिसपर उसे जानकार बनने के उपरांत मेडिकल स्टोर खोलने के निर्देश दिये। एक्सपायर दवाईयों के निस्तारण के विषय में भी उसके द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया। स्टोर में गंदगी साफ करने के भी निर्देश दिये गए। स्टोर में अनियमितता के मद्देनजर कार्यवाही करते हुए उसी समय स्टोर को बंद करवाया गया और स्पष्टीकरण शीघ्र देने के भी निर्देश किये गए। दुर्गा शक्ति मेडिकल स्टोर आरकेडिया ग्रान्ट देहरादून मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में फार्मासिस्ट यामिनी भट्ट उपस्थित पायी गयी। स्टोर में एक्सपायर दवाईयां नहीं पायी गयी। स्टोर को साफ-सुथरा रखने और एक्सपायर दवाईयों को अन्य जगह एकत्र कर रखने के निर्देश दिये गए। फार्मासिस्ट द्वारा बताया गया कि वे नारकोटिक्स दवाईयों का विक्रय नहीं करती है। उन्हें जिम्मेदारी के साथ कार्य करने व गलत/एक्सपायर दवाएं न बेचने के निर्देश दिये गए। एमडी मेडिकोस, शिमला बाईपास रोड, देहरादून मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में मालिक एवं फार्मासिस्ट भोपाल भोला उपस्थित नहीं पाये गए। उनकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वे बाहर गए हैं। उक्त मेडिकल स्टोर में स्थित फिज में तापमान डिसप्ले पाया गया। स्टोर में मात्र एक कैमरा लगा हुआ मिला।

उन्हें फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी में दवाईयां आमजन को न देने के निर्देश दिये गए व साफ-सफाई रखने और एक्सपायर दवाएं न विक्रय करने के निर्देश दिये गए। डिमरी मेडिकल स्टोर शिमला बाईपास रोड, देहरादून मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में फार्मासिस्ट संतोष डिमरी उपस्थित पाये गये। फ्रिज अत्यधिक खराब अवस्था में पाया गया, जिसका दरवाजा भी खराब मिला और उसमें तापमान डिसप्ले भी नहीं मिला, फ्रिज में रेबीज और अन्य मुख्य दवाईयां प्राप्त हुईं। उक्त स्टोर पर कार्यवाही करते हुए एक्सपायर दवाईयों को जब्त किया गया और शीघ्र नए फ्रिज स्टोर पर रखने का निर्देश दिया गया। उक्त स्टोर में अनियमितता के मद्देनजर, उसी समय बंद करवाया गया।

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्री श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुश्री शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा दिनांक– 26/03/2025 को दो दिवसीय Safe Drugs: Safe Life (सुरक्षित दवा –सुरक्षित जीवन) अभियान के अनुक्रम में जागरुकता अभियान का शुभारंभ इंस्प्रेशन पब्लिक स्कूल शैल गाँव, जिला कारागार, राजकीय किशोरी गृह बख, शिशु सदन व नारी निकेतन अल्मोड़ा में जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविरो का आरम्भ नालसा थीम गीत एक मुट्ठी असमान चलाकर किया गया।उपस्थित एन एस एस के विद्यार्थियों, बंदियों, किशोरियों व अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ्य सेवा और दवा से संबंधित उनके अधिकारों की जानकारी दी गई व एक्सपीर्ड दवाईयो व खाद्य पदार्थों दुष्प्रभाव आदि के विषय में नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 , नालसा, सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, अधिकार मित्र की भूमिका, निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया, साईबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स आदि की जानकारी दी गई।शिविरो का समापन नालसा थीम गीत चलाकर किया गया।शिविरों में अधिकार मित्र भी उपस्थित रहें।सचिव जिला विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा जिला कारागार में निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें डा0वीना तेजन व उनकी टीम द्वारा कारागार मे निरूध बंदियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। श्रीमती तुलसी जौहरी रिटेनर अधिवक्ता, अधिकार मित्र नीता नेगी उपस्थित रहीं।